न्यायालय उपखंड अधिकारी एवम उपजिला मजिस्ट्रेट किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

प्रार्थना पत्र क्रमांक 219 /2024

1. राकेश मेघवाल पुत्र बाबूलाल मेघवाल, जाति मेघवाल, आयु बालिग निवासी मेघवालों का मोहल्ला, ग्राम हरनांवा पट्टी जिला नागौर, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राज.।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधि 1956

निर्णय दिनांक 27/11/24

उपस्थितः– वकील प्रार्थी श्री उमराव चौधरी

1. संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री उमराव चौधरी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम निम्बार्क तीर्थ, भू अभिलेख निरीक्षक रलावता, तहसील किशगनढ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या 412 के खसरा संख्या 289 रकबा 0.2265 किस्म बारानी अव्वल है जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार हैः– पूर्व दिशा में पक्की डामर सडक खसरा संख्या 291, पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 799/279, उत्तर दिशा में खसरा संख्या 288 गै.मु. श्मशान चारदीवारी महदूद तथा दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 273 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 289 के पश्चात मौके पर पूर्व दिशा की ओर खसरा संख्या 291 गै.मु. रास्ता मौके पर पक्की सडक बनी हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 289 तथा 291 के मध्य किसी भी प्रकार की कोर्ट भूमि स्थित नहीं है, किन्तु नक्शे मे प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 289 एवं 291 के मध्य खसरा संख्या 288 गै.मु. श्मशान की भूमि पट्टी गलत व अशुद्ध रूप से दर्शायी गई है जबकि श्मशान व प्रार्थी की भूमि के मध्य पक्की चारदीवारी निर्मित है। खसरा संख्या 289 का नक्शा गलत एवं अशुद्ध इन्द्राज हो रखा है। राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 288 का इन्द्राज गलत व मौका से विकरित दर्ज हो रखा है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 289 एवं गै.मु.रास्ता 291 के मध्य खसरा संख्या 288 पट्टी के रूप में गलत एवं अशुद्ध रूप में नक्शे में इन्द्राज हो रखा है जो मौका स्थिती से एक दम विपरित है, जब कि मौके पर ऐसी कोई भूमि खसरा संख्या 291 गै.मु. रास्ता की भूमि स्थित है। गै. मु. रास्ता खसरा संख्या 291 के भू. भाग को खसरा नम्बर 288 की पट्टी के रूप से गलत व अशुद्ध रूप से इन्द्राज किया हुआ है, जिसे शुद्ध कर मौके स्थिती के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की ग्राम श्री [illegible] स्थित भूमि खसरा सख्या 289 एवं भूमि खसरा सख्या 281 गै.मु. रास्ता पक्की [illegible] राजस्व नक्शे मे दर्ज गलत एव अशुद्ध रूप से दर्शाये गये खसरा [illegible] के विपरित होने से हटाकर इन्द्राज को राजस्व नक्शे [illegible] खसरा संख्या 291 भूमि के इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

2 प्रार्थना पत्र को दिनाक 26.09.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 219/2024 पर दर्ज किया [illegible] अप्रार्थी तहसीलदार किशनगढ को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा दि.

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:09 IST
Reason: SelfAttested

25.11.2024 को जवाब मय नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वर्तमान खसरा संख्या 289 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त भूमि राकेश मेघवाल पुत्र बाबूलाल मेघवाल के नाम दर्ज है तथा प्रार्थी वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज है। खसरा संख्या 288/1 जो आनलाईन नक्शे में वर्तमान में खसरा संख्या 288 है तथा गै.मु. श्मशान दर्ज है, मौके पर चारदीवारी हो रखी है जो श्मशान के काम आ रही है। खसरा संख्या 291 व 289 के बीच खाली जगह है जो कि खसरा संख्या 288 गै.मु. श्मशान की भूमि है, वर्तमान समय मे मौके पर खसरा संख्या 291 गै.मु. रास्ते से लगते हुये है तथा वर्तमान में रास्ते के काम में आ रही है।

3. दिनांक 28.11.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

4. हमारे द्वारा तहसीलदार अरांई के जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलबब्ध दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम श्रीनिम्बार्क तीर्थ के खसरा संख्या 289 से ताईद है कि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा खसरा संख्या 288 गै.मु. श्मशान भूमि है तथा खसरा संख्या 291 गै.मु. सडक है तथा तहसीलदार किशनगढ के जवाब व रिपोर्ट क्रमांक 6434 दिनांक 11.11.2024 के मुताबिक ग्राम श्रीनिम्बार्क तीर्थ के खसरा संख्या 288 गै.मु. श्मशान पर पुख्ता चारदीवारी है तथा 288 व 291 मे मध्य खसरा संख्या 288 का आंशिक भाग जो सडक से लगता हुआ है, श्मशान के काम में नहीं आ रहा है जिससे जाहिर है कि खसरा संख्या 288 व 291 के बीच की पट्टी चारदीवारी युक्त भूमि में शामिल न होकर रिक्त है व रास्ते के तौर पर काम में आ रही है। तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट क्रमांक 7563 दिनांक 25.11.2024 में अंकन है कि राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 291 गै.मु. सडक तथा खसरा संख्या 289 के मध्य (खसरा संख्या 288 के दक्षिण भाग) की पट्टी अंकित है किन्तु मौके पर खसरा संख्या 289 के पूर्वी भाग पर तथा खसरा संख्या 291 के मध्य भूमि वर्तमान में रास्ते के रूप में काम में आ रही है। उक्त पट्टी को रास्ते हेतु सडक या बिलानाम दर्ज करने हेतु पंचायत निम्बार्क तीर्थ द्वारा दिनांक 25.10.2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर अनापत्ति व्यक्त की गई है।

आदेश

अतः संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा तथा वकील प्रार्थी की बहस एवं पंचायत निम्बार्क तीर्थ की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिये जातें है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में ग्राम श्रीनिम्बार्क तीर्थ के खसरा संख्या 288 के दक्षिणी भाग जो खसरा संख्या 289 के पूर्वी भाग के सामने स्थित है तथा खसरा संख्या 291 व 289 के मध्य रास्ते के काम आने वाली पट्टी की नक्शा ट्रेस में लाल स्याह से दर्शित के अनुसार रास्ते के रूप में तरमीम किया जावे तथा नवीन खसरा संख्या दर्ज कर उक्त भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज की जावे। तहसीलदार रिपोर्ट तथा नक्शा ट्रेस को अंतिम आदेश का एक भाग माना जावे तथा इसी में लाल स्याह से अंकन के अनुसार तरमीम की जावे।

आदेश आज दिनांक 27/11/24 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)